राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4525/2022

सुवालाल मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीली का जोहडा, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2022
आदेश की दिनांक : 18.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीली का जोहडा, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, निमला धौरा, साधु छोटी, चुरू किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–2) को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी की पत्नी ने अपने भाई को किडनी दान दी है। अपीलार्थी का दूरस्थ स्थानान्तरण करने के कारण अपीलार्थी की पत्नी की देखभाल में असुविधा होगी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने से पूर्व पंचायती राज विभाग की कोई सहमति नहीं ली गई, जो राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन है तथा विधि विरूद्ध है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) एवं

कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीली का जोहडा, सीकर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर सन् 2016 से कार्यरत है तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी सीकर से लगते हुए जिले चुरू में ही किया गया है। स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है तथा कोई दुर्भावना की स्थिति नहीं है। अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर विभागीय दिशा निर्देशों में भी स्थानान्तरण प्रतिबन्धित नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य